न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–435/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00459)

01. बद्रीनारायण,
02. जगदीश पुत्रान स्व0 श्री गोपीराम,
03. सीताराम (फौत)
    - 3/1. रोहित,
    - 3/2. रवि,
    - 3/3. विष्णु पुत्रान स्व. श्री सीताराम,
    - 3/4. ज्योति पुत्री स्व. श्री सीताराम,
    - 3/5. सीता देवी पत्नी स्व. श्री सीताराम समस्त निवासीगण ग्राम देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
04. श्रीमती तीजा बैवा गोपीराम (फौत)
    - 4/1. भूरी पुत्री स्व. श्री गोपीराम पत्नी श्री नाथूलाल निवासी ग्राम भम्भोरिया, तहसील सांगानेर जिला, जयपुर।
    - 4/2. लाड़ा पुत्री स्व. श्री गोपीराम, पत्नी श्री गुल्लाराम निवासी ग्राम कुथाड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
    - 4/3. भोली पुत्री स्व. श्री गोपीराम पत्नी श्री लादू निवासी ग्राम बासड़ी तहसील सांगानेर जिला, जयपुर।
05. हनुमान,
06. रामनारायण,
07. मांगीलाल पुत्रान स्व. श्री घीसाराम,
08. मंगली बैवा घासीराम,
09. रामकिशोर,
10. छीतर पुत्रान स्व. श्री रामसहाय समस्त निवासीगण ग्राम देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
11. श्रीमती भूरी बैवा रामसहाय (फौत)
    - 11/1. ग्यारसी पुत्री स्व. श्री रामसहाय पत्नी श्री हनुमान सहाय निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
    - 11/2. सीता पुत्री स्व. श्री रामसहाय पत्नी श्री रामप्रसाद निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
12. लादू (फौत)
    - 12/1. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. श्री लादू,
    - 12/2. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री लादू,
    - 12/3. संजय पुत्र स्व. श्री लादू,
    - 12/4. रोशन कुमारी पुत्री स्व. श्री लादू जरिये संरक्षिका माता श्रीमती रूकमा देवी,
13. मदन पुत्र स्व. श्री कालूराम, समस्त जातियान ब्राहाम्ण, समस्त निवासीगण ग्राम देवलिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रभूनारायण दत्तक पुत्र स्व0 श्री प्रताप (फौत),
    - 1/1. श्रीमती कुन्दन देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभूनारायण,
2. अशोक,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. राजू
4. सोनू
5. टीटू समस्त निवासीगण ग्राम देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 03.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 04.11.2006 (प्रकरण संख्या 6/2003) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 277 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 0. 01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.5 हैक्टयर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.5 हैक्टयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 0.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 678 रकबा 0.34 हैक्टयर, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 789 रकबा 0. 36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 791 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.07 हैक्अयर, खसरा नम्बर 796/684 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 805/865 रकबा 0.05 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 315/892 रकबा 0.05 हैक्टयर कृषि भूमि में मृतक रामेश्वर का 1/6 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था, मृतक रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 17.10.200 को जयपुर में हो गई थी और मृतक रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात् बद्रीनारायण, जगदीश, सीताराम पुत्रान गोपीराम श्रीमती तीजा पत्नी स्व. श्री गोपीराम, हनुमान, रामनारायण, मांगीलाल पुत्रान घासीराम व श्रीमती मंगली धर्मपत्नी श्री घासीराम, कालू पुत्र सूजाराम, प्रभू नारायण केसर पुत्रान स्व. प्रताप, किशोर, छीतर पुत्रान स्व. राम सहाय समस्त जाति हरियाणा ब्राहाम्ण निवासीयान ग्राम देवलिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मृतक रामेश्वर के फौत हो जाने के बाद उसकी भूमि का नामान्तरकरण मृतक रामेश्वर के भाई एवं भाईयों के वारिसान के नाम उनके हिस्से के अनुसार खोला जाये।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 जो प्रताप का गोद का दत्तक पुत्र है, ने भी एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मृतक रामेश्वर के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 अन्तिम समय तक भरण–पोषण व इलाज कराता रहा एवं राशन कार्ड में भी रामेश्वर के पुत्र के रूप में उसका इन्द्राज है, मृतक रामेश्वर ने एक वसीतय प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में तहरीर की थी और उक्त वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 रामेश्वर के हिस्से का नामान्तरकरण अपने हक में कराने का अधिकारी है, अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक लिखावट इस आशय की भी प्रस्तुत की कि मृतक रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 ही मृतक रामेश्वर की चल व अचल सम्पत्ति का मालिक होगा, उक्त लिखावट की फोटो स्टेट प्रति तहसीलदार सांगानेर के समक्ष पेश की गई थी। उन्होने कथन किया है कि मृतक रामेश्वर की हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में विवाद होने पर ग्राम पंचायत देवलिया से इस सम्बन्ध में तहसीलदार ने रिपोर्ट मंगवाई जिस पर ग्राम पंचायत देवलिया ने सम्पूर्ण सजरा खानदान का वर्णन करते हुए यह जाहिर किया कि मृतक रामेश्वर के सभी भाई मृतक रामेश्वर द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपने–अपने हिस्से अनुसार नामान्तरकरण खुलवाने के हकदार है तथा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट आने के पश्चात् तहसीलदार सांगानेर द्वारा बयानादि दर्ज किये और अपना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2006 पारित किया, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि तहसीलदार सांगानेर ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा लिखावट की फौटो स्टेट, प्रति जो बिना दिनांक की थी पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुकूल नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार सांगानेर ने ग्राम पंचायत देवलिया से दो बार रिपोर्ट मंगवाई थी और दोनों बार ग्राम पंचायत देवलिया ने यह रिपोर्ट प्रेषित की थी कि रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात् रामेश्वर के हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी उसके भाईयों व भाईयों के वारिसों के नाम खोली जानी चाहिये उसके उपरान्त भी तहसीलदार सांगानेर ने इस तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2006 पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रत्यर्थी संख्या 2 की जिस लिखावट का हलवा दिया है उक्त लिखावट मूल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई है तथा उक्त लिखावट पर की गई अंगूठा निशानी मृतक रामेश्वर की अंगूठा निशानी से मेल नही खाती है, मृतक रामेश्वर की अंगूठा निशानी जो विक्रय पत्र दिनांक 28.01.1991 पर की गई है वह प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पेश की गई लिखावट पर मौजूदा अंगूठा निशानी से पूर्णतः भिन्न है जिसे बिना फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट की नग्न ऑखों से जॉचा नही जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार सांगानेर ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक बयानों का पूर्णतया परिशीलन नही किया वरना यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मृतक रामेश्वर का सिर्फ दूरदराज में भतीजा है व उसके हक में किसी प्रकार की कोई लिखावट मृतक रामेश्वर ने निष्पादित नही की है बल्कि अशोक कुमार के द्वारा किसी इकरारनामें के लिये खरीदशुदा स्टाम्प का दुरूपयोग कर उसकी फोटो प्रति पर फर्जी अंगूठा निशानी लगाते हुये

रामेश्वर की चल व अचल सम्पत्ति को हड़प करने के आशय से फर्जी रूप से बनाया गया है जिसकी फोटो प्रति तहसीलदार के समक्ष पेश कर अनुचित तरीके से तहसीलदार को अपने दवाब में लेकर अपने हक में नामान्तरकरण खुलवाया गया है जबकि यदि रामेश्वर द्वारा अशोक कुमार के हक में किसी भी प्रकार की वसीयत आदि निष्पादित की जाती तो अपने जीवनकाल में ही निष्पादित कर उसको रजिस्टर्ड करवाता अथवा अपने परिवारिक सदस्यों भाई बन्धूओं को बताता जबकि मृतक रामेश्वर द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार की कोई वसीयत अथवा दस्तावेज अशोक कुमार के हक में निष्पादित करवाने बाबत किसी से जिक्र नही किया जिससे स्पष्ट है कि रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात् आशोक कुमार द्वारा फर्जी तरीके से इकरारनामें के लिये खुरीदशुदा स्टाम्प पर फर्जी तरीके से अंगूठा निशानी बना रामेश्वर की चल व अचल सम्पत्ति को हड़प करने की बदनियति से तैयार किया था तथा अशोक कुमार ने उक्त फर्जी असल दस्तावेज को ना तो तहसीलदार के समक्ष पेश किया और ना ही न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया है। उन्होने कथन किया है कि यदि असल लिखावट को पेश किया जाता तो न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत अंगूठा निशानी का अवलोकन किया जा सकता था जिससे सत्यता न्यायालय के समक्ष आ जाती इसके अतिरिक्त यदि ऐसा कोई असल दस्तावेज वास्तव में अस्तित्व में होता तो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक आवश्यक प्रस्तुत किया जाता किन्तु आज दिनांक तक ऐसा असल दस्तावेज न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत नही किया जाना इस संभावना का बल देता है कि उपरोक्त दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित है जिसका वास्तव में कोई विधिक अस्तित्व नही है, केवल मात्र इकरारनामे के लिये खरीदशुदा स्टाम्प की फोटोप्रति का दुरूपयोग कर लिखाई की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा अशोक कुमार के पक्ष में फोटोकॉपी लिखावट के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जिस बाबत वर्तमान में अशोक कुमार के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना क्रमांक 45/2004 बगरू थाना में दर्ज है जिसमे अनुसंधान लम्बित है चूँकि तहसीलदार द्वारा अशोक कुमार के हक में खोला गया नामान्तरकरण फोटोकॉपी लिखावत को वसीयत की श्रेणी में मानकर नामान्तरकण तस्दीक किया गया है जों कि स्वयं में विवादित है एवं असल दस्तावेज आज तक तहसीलदार, पुलिस अधिकारी या अन्य के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिस कारण तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरकरण बिना वारिसों की जॉच पड़ताल के आधार पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य उत्तराधिकार का बिन्दू विवादित हो एवं कोई दस्तावेज विवादित हो वहॉ बिना किसी न्यायालय की डिक्री/आदेश के बिना तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण खोला जाना न्यायपूर्ण नही है एवं तहसीलदार का आदेश अपीलान्टगण को उनके विधिक अधिकारों से वंचित कर खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2006 निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार को अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने जो सजरा खानदान बताया है वह सम्पूर्ण गलत है रामसहराय के जो प्रभूनारायण को गोद पुत्र बताया है वह गलत है बल्कि वह प्रभूनारायण सूजाराम का ही पुत्र है, वह कभी भी किसी के गोद नही गया है और कभी कोई गोद की कोई रस्म हुई है तथा रेस्पोडेन्टान प्रभूनारायण के ही पुत्र है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामेश्वर द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो वसीयत की गई है, वह सही है तथा नामान्तरकरण विधिनुसार ही है क्योंकि यदि वसीयत गलत है या फर्जी है तो इसका निर्धारण केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है वही से इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त हो सकते है, लेकिन किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत को आदिनांक तक अवैध या शून्य घोषित नही किया गया है इसलिये तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 04.11.2006 विधिनुसार है। उन्होने आगे कथन किया है कि धारा 6 व 8 के तहत भी अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते क्योंकि धारा 6 के तहत वादग्रस्त आराजी कोपार्शनरी सम्पत्ति नही है क्योंकि रामेश्वर का हिस्सा अलग से था जो उसे मिला था एवं धारा 8 के प्रावधान इसलिये भी लागू नही होते है कि उसने अपनी सम्पत्ति की वसीयत लिखावट लिख दी थी ऐसी स्थिति में भी सक्षम न्यायालय जब तक अपीलान्ट के स्वामित्व व अधिकार तय नही कर देती तब तक नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र सरासर क्षेत्राधिकार बाहर है क्योंकि ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही किसी भी व्यक्ति का वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का, यदि ऐसा होने लगा तो सक्षम व्यवहार न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता ही नही रहेगी एवं उत्तराधिकार अधिकार के सम्बन्ध में कानून में परिवर्तन न हो तब तक ग्राम पंचायत को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के अधिकार नही है तथा वैसे भी ग्राम पंचायत ने कभी कोई नोटिस इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स को नही दिया गया है तथा ना ही रेस्पोडेन्ट्स के कोई बयानात लिये गये है, ऐसी स्थिति में भी सरपंच का प्रमाण पत्र कोई मायने नही रखता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि यदि जॉच फौजदारी कार्यवाही में ही होती एवं यदि कोई नियमित वाद बाबत दस्तावेज के निरस्तीकरण का होता तो जॉच की आवश्कता रहती है, जॉच हेतु सक्षम न्यायालय ही आदेश दे सकती है, प्रस्तुत नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है व उसमें ऐसी जॉच नही होती है, न हो सकती है, अर्थात जॉच केवल नियमित दावे में ही हो सकती है। उन्होने आगे कथन किया है कि दावा विचाराधीन होना कहा है, वहॉ ही अधिकार तय होंगे व जब तक दावे का निर्णय न हो जावे, अपील नही चल सकती है, यदि सक्षम व्यवहार न्यायालय या राजस्व न्यायालय में अपीलान्ट अपने अधिकार तय करा लेंगे तो नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो जावेगा, ऐसी स्थिति में भी अपील निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि राजस्थान में वसीयत को प्रोबेट लेने की कही भी आवश्यकता नही है, यदि वसीयत से किसी व्यक्ति का कोई एतराज या गुरेज है तो वह उसे सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज कर निरस्त करा सकता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि क्रियाकर्म करने का जहॉ तक सम्बन्ध है, उक्त क्रियाकर्म कोई भी कर सकता है, बरहाल अपीलान्ट द्वारा कोई क्रियाकर्म नही किया गया, न ही यह कही साबित है, यदि थोड़ी देर के लिऐ क्रियाकर्म करना साबित भी कर दे तो भी उससे कोई अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त नही हो सकते। उन्होने आगे कथन किया है कि क्रियाकर्म एवं हिन्दूओं में आवश्यकीय है यदि थोड़ी देर के लिये विचार किया जावें तो मृत व्यक्ति के पुत्र–पुत्रियों, भाई–भतीजे आदि है तो उसके दाह संस्कार में जो होगा वो ही क्रियाकर्म करेगा और यदि मानलो पुत्र–पुत्री विदेश में है तो क्रियाकर्म कौन करेंगा, इसिलिये शास्त्रानुसार उसके भाई–भतीजे या गौत्रज करेंगे, और यदि वह भी नही है तो ग्रामवासी व उसके समाज के कोई भी पिण्डदान करेंगे, ऐसी स्थिति में भी क्रियाकर्म के आधार पर कोई अधिकार अपीलान्ट को नही मिल सकते, यह एक सरेमनी है। अतः अपील आपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम देवलिया की वर्ष 2004 की मतादाता सूची भाग संख्या 34 के क्रम संख्या 69 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद दर्ज है, बयानादि भैरू, रामप्रसाद, केसरदेवी से जाहिर होता है कि रामेश्वर के मकान गुवाड़ी में अशोक ही रहा है, राशन कार्ड में भी रामेश्वर के पुत्र का नाम अशोक कुमार दर्ज है तथा पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखावट दिनांक 25.07.1990 में वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी व चल अचल सम्पत्तियों का मालिक रेस्पोडेन्ट अशोक कुमार को बनाया गया है। चूॅकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त लिखावट को अवैध या शून्य घोषित किया गया हो जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त लिखावत वर्तमान में प्रचलन में है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2006 को अवैध नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2006 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।